राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या–15/2023

जीवालाल भगोरा **–अपीलार्थी**

बनाम

1. शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन, राजस्थान जयपुर।
3. अतिरिक्त निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, पशुपालन बांसवाडा।
5. अर्जुन लाल डामोर, पशुधन सहायक, पशुचिकित्सालय, चाकोड़िया, प्रतापगढ़।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 17.01.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री रविन्द्र सिंह चम्पावत, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री शैलेन्द्र सिंह राठौड़, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष : शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर उपकेंद्र पिपलोद, बांसवाड़ा में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 (अनुलग्नक–11) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से पशुचिकित्सालय चकोड़ला, प्रतापगढ़ किया गया है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 1990 में हुई थी और उसे पशुचिकित्सालय, बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया तथा परिविक्षा काल पूर्ण होने पर एक वर्ष बाद पुनः पशु उपकेन्द्र कारजी, बांसवाड़ा में किया गया। और 2 वर्ष बाद वर्ष 1998 में उसे लंकाई, बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया तथा 10 माह बाद फिर उसे चकोड़ला पदस्थापित किया गया। वर्ष 2004 में बुड़वा, बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया है। वर्ष 2013 में बड़ोदिया बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया। वर्ष 2015 में उसे चोखला, बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया। वर्ष 2018 में बरोठी वीठ चख डूंगरपुर पदस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में बड़ोदिया, बांसवाड़ा पदस्थापित किया गया। वर्ष 2020 में पिपलोद, बांसवाड़ा से जावर माता, उदयुपर में पदस्थापित किया गया और अब आलोच्य आदेश द्वारा उपकेन्द्र कुण्डल, बांसवाड़ा स्थानान्तरण किया गया। इस प्रकार अपीलार्थी का बिना किसी प्रशासनिक कारणों के 250 कि.मी. दूर किया गया, जो स्थानान्तरण नीति एवं नियमों के विपरित है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 को उसके स्थान पर समंजित करने के आशय से किया गया है, जो विधि के विरूद्ध है। अतः

अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 12.01.2023 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुराध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी एक माह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी एक माह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य